



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दिल्ली

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकांश द्वारा, श्री धर्मचन्द जैन की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु दूकान में प्लास्टिक की 4 जरीकेटों में 80-90 किलोग्राम सरसों तेल (खुला) वारत आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिश्रण की शंका होने पर श्री धर्मचन्द जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन को फॉर्म नं. 5 ए में वारत नमूना कथ करने हेतु नोटिस देकर

अज्ञात प्रपत्र दिखाया। का एकमात्र मालिक होने की वकील किया तथा खाद्य अज्ञात विकी प्रपत्र मानने पर खाद्य परिचय लिया तथा फूडने पर धर्मचन्द जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान उपस्थित किया, श्री धर्मचन्द जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन को अपना परिचय दिया एवं जैन बस स्टैंड बनेता तह. उन्धारा जिला टोक पर खाद्य प्रदर्श का कारोबार करते हुए श्री धर्मचन्द जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन अपने प्रतिष्ठान में सरस धर्मचन्द महावीर प्रसाद बस स्टैंड बनेता तह. उन्धारा जिला टोक पर पहुंचा। वहां पर प्रोपरायटर की हैसियत से अधिकारी दिनांक 29.09.2025 को समय 01:00 पी.एम. पर सरस धर्मचन्द महावीर प्रसाद जैन संक्षेप में प्रपत्रा पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा

दिनांक 23/11/26 : - निर्णय :-

- 1-पर्योकार सरकार।
- 2-अग्रणी श्री धर्मचन्द जैन स्वयं उप।

उपस्थित-

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (iv) एवं दण्डनीय धारा 58 (सहपठित धारा 49)

.....अग्रणी

पिनकोड-304024

- 1-श्री धर्मचन्द जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन निवासी पोस्ट ऑफिस के पास बनेता तह. उन्धारा जिला टोक ए.क.बी.ओ. सरस धर्मचन्द महावीर प्रसाद जैन बस स्टैंड बनेता तह. उन्धारा जिला टोक। मोबाइल नं 9636337050
- 2-सरस धर्मचन्द महावीर प्रसाद जैन बस स्टैंड बनेता तह. उन्धारा जिला टोक राज।

बनाम

.....प्रणी

सत्यनारायण गुजर, खाद्य सुरक्षा अधिकांश, टोक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोक राज।

जीसीएमएस नं 249/2025

23.01.2026

23.12.2025
गोरीख दासरा

102/2025 प्र.पत्र/2025
मिशन नम्बर

आर.ए.एस
गोरीख निर्णय

पीठासीन अधिकारी-

स्वायत्त न्याय निर्णय अधिकांश एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोक



लिया जावे।

प्रकरण दर्ज रिजिस्टर किया जाकर अपार्षी को जारी नोटिस तलब किया गया। अपार्षी श्री धर्मचन्द जैन स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र खूबे में विकय करने के कारण उक्त नमूना कॉन्ट्रोलन स्तर का होना पया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शक्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

विकेता के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। 3.15.1(b) के अनुसार कॉन्ट्रोलन (Contravene) स्तर का होना पया गया। अतः आवेदक ने अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के रेगुलेशन (विकय प्रतिबंध एवं निर्बंध) नं. 2. स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया सरसी तेल (खुला) खाद्य सुरक्षा व मानक एलएस/3965/एस्ट/2025/3900 दिनांक 14.10.2025 के अनुसार विकेता से वास्तु मानक हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट में आधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/4395 दिनांक 27.10.2025 के द्वारा ज्ञात आवेदक खाद्य सुरक्षा आधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/4395 दिनांक 27.10.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट में

आवेदक खाद्य सुरक्षा आधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार कीं और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना माग फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य कन्द्रीय जैन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा आधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार कीं और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना माग फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य कन्द्रीय जैन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विकेता व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर माग पर गौद से अच्छी तरह लिपिकाया। चारों नमूना मागों को अलग-अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गौद से अच्छी तरह लिपिकाकर प्रत्येक माग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर श्रृंखला के माध्यम से उपर तक गौद से गौद से लिपिकाकर प्रत्येक माग को धारा 1600 के अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक नमूना माग पर विकेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना माग पर विकेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार सील चपड़ी किया एवं प्रत्येक नमूना माग पर आवेदक नमूना मागों को नियमानुसार सील चपड़ी कर तैयार कर चारों नमूना मागों को अपने जापसे में लिया तथा माग पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियाँ से नियमानुसार भरकर एक.बी.ओ. को स्थित कर 80-90 किग्रा मास सरसी तेल (खुला) वास्तु नमूना जांच कय किया जा रहा है, लगभग 1600 ग्राम नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विकेता को नाद देकर रसीद प्राप्त की। अलग-अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक की डिशियाँ में प्रत्येक डिशी में 400-400 ग्राम भरकर डिशियाँ के ढक्कन को अच्छी तरह एयरटइट बन्द कर नियमानुसार चार माग तैयार किये एवं चारों नमूना मागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-4514 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विकेता व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर माग पर गौद से अच्छी तरह लिपिकाया। चारों नमूना मागों को अलग-अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गौद से अच्छी तरह लिपिकाकर प्रत्येक माग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर श्रृंखला के माध्यम से उपर तक गौद से गौद से लिपिकाकर प्रत्येक माग को धारा 1600 के अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक नमूना माग पर विकेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना माग पर विकेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार सील चपड़ी किया एवं प्रत्येक नमूना माग पर आवेदक नमूना मागों को नियमानुसार सील चपड़ी कर तैयार कर चारों नमूना मागों को अपने जापसे में लिया तथा माग पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक जिला मजिस्ट्रेट
BCL

टॉक-एजेंडा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
 न्याय निवालय, दिल्ली एवं
 (संयुक्त जिला मजिस्ट्रेट)
 दिल्ली



निर्णय आज दिनांक 23/11/26 को खूबे न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

पञ्चावली कृषक संघ को बाद तक मील दायित्व दफ्तर हो।
 गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् नियमानुसार नष्ट कर दिया जावे।
 कथवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकायी, टॉक को भिजवायी जावे। प्रकरण में लिखे
 करार रसीद पेश करे। एक माह के अन्दर शक्ति जमा नही करवाने पर शक्ति वसूली की
 जाये। गालन से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा
 5,000/- (अक्षर पांच हजार रुपये) आरंभित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि
 अतः अपील के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अपील पर कुल शक्ति रुपये
 अन्तर्गत अपरिमित 58 (सहपटित धारा 49) के अन्तर्गत जमाने की शर्तों से आता है।
 मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (iv) के
 जांच में कॉन्ट्रिवेन (Contravene) स्तर का होना पया गया है। उक्त कथ खाद्य सुरक्षा व
 पञ्चावली का अवलोकन किया। अपील के पास से लिया गया सरसों तेल (खुला) का नमूना
 हमने अपील एवं परीकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व
 आता है, इसलिए अपील को शर्तों से शर्तों जमाने से दण्डित किया जावे।
 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 58 (सहपटित धारा 49) में जमाने की शर्तों से
 को विक्रय कर रहे थे वह जांच में कॉन्ट्रिवेन (Contravene) स्तर का होना पया गया है जो कि
 में अतिक्रमण पर प्रकाश जालते हुए निवेदन किया कि अपील जिस सरसों तेल (खुला)
 परीकार सरकार की बहस सुनी गई। परीकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र